

आउटकम बजट 2018-19

विभाग का नाम- श्रम विभाग, श्रम आयुक्त संगठन, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले/बजट		एस.डी.जी. Goals Indicator	परिकल्पित (प्रोजेक्ट/डे) आउटपुट वर्ष 2018-19	01.04.2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट/डे) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूजीगत					
1	2230-श्रम तथा रोजगार 001- निदेशन तथा प्रशासन	अधिष्ठान संबंधी व्यय	302.70	10.00	-	कार्यालय संचालन 63 अधिकारियों / कर्मचारियों व वाह्य स्रोत कार्मिकों हेतु	-	-	01 वर्ष
2	101- औद्योगिक संबंध 03- विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन का अधिष्ठान	अधिष्ठान संबंधी व्यय	806.04	00.00	-	कार्यालय संचालन 211 अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं कार्य संचालन हेतु।	-	-	01 वर्ष
3	04- राज्य सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड	अधिष्ठान संबंधी व्यय	36.49	0	-	कार्यालय संचालन मा0 अध्यक्ष जी का मानदेय व अन्य भत्ते तथा 5 कर्मचारियों हेतु।	-	-	01 वर्ष
4	05- औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय का अधिष्ठान	अधिष्ठान संबंधी व्यय	212.24	0	-	कार्यालय संचालन 04 पीठासीन अधिकारी व 31 कर्मचारी सहित कुल 35 अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु	-	-	01 वर्ष

5	06- औद्योगिक संबंध सुदृढीकरण, आयोगों का सम्मेलन	अधिष्ठान संबंधी व्यय	0.40	0	—	कार्यालय संचालन। बैठक में प्रतिभाग करने वाले सदस्यों के यात्रा व्यय व आतिथ्य व्यय हेतु	—	—	01 वर्ष
6	07- कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा हेतु राज्य स्तरीय सतर्कता समिति	अधिष्ठान संबंधी व्यय	0.30	0	—	कार्यालय संचालन। कार्यालय संचालन बैठक में प्रतिभाग करने वाले सदस्यों के यात्रा व्यय व आतिथ्य व्यय हेतु	—	—	01 वर्ष
7	102- कार्य की परिस्थितियों तथा सुरक्षा 03- निरीक्षण का अधिष्ठान	अधिष्ठान संबंधी व्यय	115.81	0	—	कार्यालय संचालन 19 अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु।	—	—	01 वर्ष
8	103-सामान्य श्रम कल्याण 03-श्रम कल्याण की विविध योजनायें/कल्याण केन्द्र	अधिष्ठान संबंधी व्यय	56.15	0	—	कार्यालय संचालन 10 कर्मचारियों हेतु	—	—	01 वर्ष

क्रम सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले/बजट		एस.डी.जी. Goals Indicator	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2018-19	01.04.2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
9	05- बाल श्रमिकों की शिक्षा एवं पुनर्वास	बाल श्रम को कम करना	2.00	0	8.7 बाल श्रम प्रथा को रोकने तथा बाल श्रम प्रथा को समाप्ति हेतु त्वरित कार्यवाही	300 चिन्हित बाल श्रमिकों का शैक्षिक पुनर्वास	22 पुनर्वासित (वित्तीय वर्ष 2016-17 में)	बाल श्रम को कम करना	03 वर्ष
10	06- बाल श्रमिकों का चिन्हिकरण एवं पुनर्वास तथा शिक्षा	बाल श्रमिकों को मुख्यधारा में लाना	5.00	0	—	300 बाल श्रमिकों का चिन्हिकरण एवं पुनर्वास तथा शिक्षा। प्रदेश के सभी जनपदों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसाइटी का गठन किया जा चुका है। जनपद देहरादून में उक्त योजना संचालित है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रदेश के सभी जनपदों लागू की जा रही है।	84 चिन्हित (वित्तीय वर्ष 2016-17 में)	बाल श्रमिकों को मुख्यधारा में लाना	01 वर्ष
11	07-श्रम विभाग के प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण एवं विकेन्द्रीकरण	विभागीय श्रम प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ करना	20.00	0	—	श्रम आयुक्त कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय तथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालयों के सुदृढीकरण एवं विकेन्द्रीकरण हेतु 10 कार्या०		विभागीय श्रम प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ करना ताकि विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके।	01 वर्ष
12	कारखाना/ब्यायलर के कार्यालयों का सुदृढीकरण	कार्यालयों का सुदृढीकरण	6.00	0	—	कारखाना प्रभाग के 02 कार्यालयों के सुदृढीकरण हेतु		कार्यालयों का सुदृढीकरण	01 वर्ष
13	09-असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का सर्वेक्षण एवं चिन्हिकरण	असंगठित श्रमिकों का चिन्हिकरण	15.00	0	—	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के चिन्हिकरण के कार्य हेतु 25000 श्रमिक		असंगठित श्रमिकों का चिन्हिकरण	01 वर्ष

क्रम सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले/बजट		एस.डी.जी. Goals Indicator	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2018-19	01.04.2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
14	10-असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ऑन लाइन पंजीकरण/नवीनीकरण	असंगठित श्रमिकों पंजीकृत कर कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना	20.00	0	—	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के आनलाईन पंजीकरण/नवीनीकरण 25000 श्रमिक		असंगठित श्रमिकों पंजीकृत कर कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना	01 वर्ष
15	12-विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत आन लाइन पंजीकरण/नवीनीकरण कार्य हेतु		0.01		—				टोकन मनी प्रस्तावित
16	13- पं० दीन दयाल उपाध्याय सुरक्षा बीमा योजना		0.01		—				टोकन मनी प्रस्तावित
17	14-बाल श्रम किशोर श्रम पुनर्वास निधि		0.01		—				टोकन मनी प्रस्तावित
18	4216- आवास एवं पूंजीगत परिव्यय 80- सामान्य 001- निदेशन तथा प्रशासन 03-श्रम आयुक्त के अधीन आवासीय/अनावासीय भवन/भूमि क्रय	कार्यालय भवनों का निर्माण	0	0.22	—	जनपद देहरादून में उप श्रम आयुक्त कार्यालय के निर्माण तथा श्रम आयुक्त कार्यालय के विस्तार तथा श्रम न्यायालय काशीपुर के कार्यालय भवन निर्माण की अंतिम अवषेष किस्त के भुगतान हेतु। 03 कार्यालय		कार्यालय भवनों का निर्माण	01 वर्ष

क्रम सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले/बजट		एस.डी.जी. Goals Indicator	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2018-19	01.04.2017 की स्थिति (बैस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
	नई मॉग								
1	बंधुवा श्रमिकों के पुर्नवास हेतु स्थाई निधि गठित करने हेतु	Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour 2016 के अनुसार चिन्हित बंधुवा श्रमिकों के पुर्नवास हेतु प्रत्येक जनपद स्तर पर स्थाई निधि का गठन किया जाना है।	130.00	0	8.7 बंधुवा श्रम प्रथा को रोकने तथा बाल श्रम प्रथा को समाप्ति हेतु त्वरित कार्यवाही	केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत प्रत्येक जिले में ₹0 10 लाख की स्थाई निधि गठित किया जाना। 13 जनपद	22	चिन्हीकरण के उपरांत बंधुवा श्रमिकों का पुनर्वासन तथा बंधुवा श्रमिकों को मुख्यधारा में लाना	03 वर्ष
2	आम आदमी बीमा योजना	गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना	1137.15	0	—	गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुखिया हेतु आम आदमी बीमा योजना का संचालन हेतु	6.65 लाख बीमित व्यक्ति	गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।	01 वर्ष
3	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर की वापसी	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को उपकर की शासकी खाते में जमा की गई धनराशि को बोर्ड के खाते में जमा कराने हेतु	350.00	0	—	शासकीय खाते में जमा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर की धनराशि को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा कराने हेतु	—	उपकर की धनराशि को बोर्ड के खाते में जमा किया जाना	01 वर्ष
	योग		3215.31	10.22	—				

कुल योग : राजस्व+ पूंजीगत = 3215.31+10.22 = 3225.53
(कुल धनराशि ₹0 बत्तीस करोड़ पच्चीस लाख तिरपन हजार मात्र)